अपील–90बी(7) संख्या 107/2017 अनवानी पवन कुमार पुत्र सिबाराम जाति अग्रवाल निवासी सी–69, त्रिवेणी नगर, ग्राम राजाबास, पोस्ट नांगल पुरोहितान, जयपुर बनाम 1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बनारसी दास जाति अग्रवाल निवासी 2–ए–8 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण गोपाल जाति महाजन निवासी 38 गोल बाजार, श्रीगंगानगर 3. संजय महिपाल पुत्र श्री शोभाचन्द निवासी नई धानमण्डी, श्रीगंगानगर 4. ओम प्रकाश लोहिया पुत्र कुन्दनलाल जाति अग्रवाल निवासी नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर 5. सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर 6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

25.08.2021

अपीलार्थी पवन कुमार के अभिभाषक श्री राजन कुक्कड उपस्थित है अप्रार्थी संख्या 1,3,4 के अभिभाषक श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 और अप्रार्थी संख्या 5–सचिव नगर विकास न्याय की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजन कुक्कड़ की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो शामिल किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी के द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि उक्त प्रकरण में माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष धारा 90बी(7) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी जो उनके द्वारा धारा 90ए के अन्तर्गत निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय को प्रेषित की गई हैं । धारा 90बी के प्रावधानानुसार अपील का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं। साथ ही उनके उनके द्वारा यह भी प्रार्थना की गई है कि नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की पत्रावली जो कि चक 1ए छोटी पटवार हल्का 4 एमएल के खाता संख्या 21 नया, पुराना [illegible] मुरब्बा नम्बर 58 पुराना, नया 62 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 व किला नं. [illegible] 14, 17 के भूरूपांतरण से सम्बन्धित है, को भी तलब किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति रेस्पोडेंट के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सरपाल को दिलाई गई।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सर्वप्रथम यह तय किया जाना उचित होगा कि क्या इस न्यायालय को सचिव, नगर विकास न्याय, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.10.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 90बी(7) भू राजस्व अधिनियम में सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है अथवा नहीं? अगर इस न्यायालय को उक्त अपील को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा तो ही अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित अभिलेख्र मंगवाकर गुण दोष पर विचार किया जा सकेगा।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.10.2005 के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर में एक अपील पवन कुमार बनाम सुरेन्द्र कुमार वगै. अन्तर्गत धारा 90बी(7) जो कि दिनांक 07.10.2016 को पेश की गई थी जो उनके द्वारा धारा 90क की धारा 9 के तहत इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रेषित की है जबकि यह मामला धारा 90बी – भू राजस्व अधिनियम का होने के कारण इस् न्यायालय को सुनवाई एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार नही है।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 1,3,4 के अधिवक्ता का कथन है कि जब अपीलार्थी के अनुसार इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है तो सम्बन्धित प्रकरण का नगर विकास न्यास से मूल अभिलेख मंगवाने का कोई औचित्य नही हैं। अतः अपीलार्थी को मूल को अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापिस लौटा दी जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अ[illegible]ारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास,श्रीगंगान[illegible] दिनांक 20.10.2005 के विरूद्ध संभागीय आयुक्त, बी[illegible] अपील अनवानी पवन कुमार बनाम सुरेन्द्र कुमार वगै. अन्तर्गत धारा 90बी([illegible]) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 07.10.2016 को पेश की गई है जिसके साथ अपीलार्थी ने नगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विकास न्यास, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.10.2005 की कोई प्रमाणित प्रति भी संलग्न नही की है। अपील पत्र के साथ उसने सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 02.08.2016 की प्रति संलग्न की है जिसमें सचिव, नगर विकास न्यास द्वारा उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली शासन उप सचिव, जस्टिस एन एन माथुर आयोग, राजस्थान जयपुर को भिजवाई जाना बताकर मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाया जाना बताया है।

सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.10.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील धारा 90बी(7) को माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में अनवानी पवन कुमार बनाम सुरेन्द्र कुमार वगै. को अपील संख्या 03/2016 को धारा 90ए (9) के रूप में दर्ज किया है और अपने पत्र दिनांक 21.03.2017 के द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार मानकर सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रेषित किया है। अपीलार्थी पवन कुमार के अभिभाषक का यह कथन है कि प्राधिकृत अधिकारी पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2005 जो कि अन्तर्गत धारा 90बी(1)—भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित किया गया है के संबंध में प्रस्तुत अपील 90बी(7) को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। इस संबंध में मैने **राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी की उपधारा 7 व 9 का अवलोकन किया जो निम्न प्रकार से है:—**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

(7) उपधारा (5) के अधीन [illegible] व्यक्ति उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित [illegible] तीस दिन के भीतर भीतर खण्ड आयुक्त या इस निमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा।

(9) खण्ड आयुक्त या इस निमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन अपील में पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी को संशोधन सं. 12 दिनांक 30.04.2012 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधिनियम सं. 15 में दिनांक 30.04.2012 को धारा 90ए का संशोधन करके उपधारा 5 के पश्चात 6, 7, 8, 9 नई उपधाराएं जोड़ी गई है और उपधारा 9 निम्न प्रकार से है:—

> **(9) इस धारा के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर—भीतर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किये गये कलक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो यावत्साध्य, ऐसी अपील का, उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर भीतर निपटारा करेगा और यदि वह पूर्वोक्त कालावधि के भीतर भीतर उस अपील का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। इस उपधारा के अधीन पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा।**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा धारा 90बी में सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2005 के विरूद्ध अपील पेश की गई है जबकि इस न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 90—ए में पारित आदेश के विरूद्ध ही 90—ए की उपधारा 9 के तहत ही अपील सुनने का क्षेत्राधिकार है न कि धारा 90बी में पारित किसी आदेश के विरूद्ध। इस संबंध में **राज्य सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आज्ञा सख्या प.3(90) नविवि/3/2012 दिनांक [illegible] 2012 जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की [illegible] बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को [illegible] के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम 2012 के सन्दर्भ में जारी है के (स) सामान्य बिन्दु शीर्षक के बिन्दु संख्या 6 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से निर्देश अंकित किया गया है:—**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6. 17.06.99 से पूर्व के और इसके बाद के प्रकरणो में जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जायेंगे उनकी अपील अब व्यथित व्यक्ति के द्वारा जिला के कलक्टर को प्रस्तुत की जा सकेगी। जिला कलक्टर को अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 को जारी की जा चुकी है।

चूंकि इस प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 90बी के तहत दिनांक 20.10.2005 को आदेश पारित किया गया है न कि धारा 90–ए के अन्तर्गत पारित किया गया है। धारा 90बी के तहत पारित आदेश के विरूद्ध धारा 90बी की उपधारा 7 के तहत ही सक्ष्म अपील अधिकारी संभागीय आयुक्त महोदय को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

चूंकि उक्त प्रकरण में धारा 90बी के तहत प्राधिकृत अधिकारी पद्‌न सचिव, नगर विकास न्याय, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.10.2005 के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष धारा 90बी(7) के तहत अपीलाथ्री द्वारा अपील संख्या 03/2016 अनवानी पवन कुमार बनाम सुरेन्द्र कुमार वगै. पेश की गई थी जिसे माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा धारा 90ए(9) के तहत इस न्यायालय को सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपने पत्र दिनांक 21.03.2017 से भिजवाया गया है। धारा 90बी भू राजस्व अधिनियम का विलोपन दिनांक 02.05.2012 को चुका है और इसके स्थान पर धारा 90ए राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम 2012(अधिनियम संख्या 12) द्वारा उपधारांए 6, 7, 8 एवं 9 जोडी गई है जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र भाग 4 क दिनांक 02.05.2012 में प्रकाशित कर तुरन्त प्रभाव से लागू किया है। उक्त धारा 90ए(9) निम्न प्रकार से है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

(9) इस धारा के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर—भीतर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किये गये कलक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो यावत्साध्य, ऐसी अपील का, उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर भीतर निपटारा करेगा और यदि वह पूर्वोक्त कालावधि के भीतर भीतर उस अपील का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। इस उपधारा के अधीन पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा।

इस धारा के तहत जिला कलक्टर को अपील की शक्तियां अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 निम्न प्रकार से है:

अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 31.05.2012

राजस्थान भ—राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90—क की उपधारा (9) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के सम्बन्ध में समस्त जिला कलक्टरों को उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसे अधिकारी के रूप में अधिकृत करती है जिसके समक्ष उक्त अधिनियम की उक्त धारा के अन्तर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा (9) के प्रवधानों के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जावेगी।

भू—राजस्व अधिनियम—1956 [illegible] 90बी दिनांक 02.05.2012 को विलोपित होने के का[illegible] विचाराधीन अपीलों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगरीय वि[illegible]स एवं आवसन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र प.3(67)नविवि/3/2012 दिनांक 06.08.2012 के द्वारा निम्न प्रकार से मार्ग दर्शन दिया गया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि **राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—बी की उप—धारा(7) के तहत सम्भागीय आयुक्त अपील अधिकारी की रूप में नियुक्त थे। उक्त धारा 90—बी की विलोपित होकर उनके स्थान पर धारा 90ए के संशोधित प्रावधान लागू हो गये है और राज्य सरकार ने धारा 90ए की उप—धारा(9) के अन्तर्गत संबंधित जिला कलेक्टर को अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।**

संभागीय आयुक्त उदयपुर एवं संभागीय आयुक्त अजमेर इस बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा है कि पूर्ववर्ती धारा 90बी की उप—धारा (7) के तहत जो अपीलें सम्भागीय आुयक्त न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उसमें आगे सुनवाई करने के अधिकार सम्भागीय आयुक्त को रहेंगे अथवा जिला कलेक्टर को रहेंगे?

उक्त बिन्दु पर विधि विभाग से प्राप्त राय निम्न प्रकार है:

"….. The Administrative Department has sought legal clarification that whether appeals pending before the court of Divisional Commissioners under the provisions of sub-Section(7) of Section 90-B (Since repealed) of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, are to be decided under the provisions of repealed section or in the light of the provisions inserted by new Section 90A.

At the outset, it would be worth noticing that Section 90-B of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, stand repealed vide Notification dated 22nd May, 2012 without any retrospective effect or no provisions regarding pending appeals mentioned herein above.

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

In these state of affairs, Section 6 of the General Clauses Act, 1897 comes to our rescue. The relevant provision of which is reproduced hereunder for ready reference :

6 Effect of Repeal - Where this Act. or any (Central Act) of Registration made or hereafter to be made, then, unless a different intention appears, the repeal shall not Revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect, or Affect the previous operation of any enactment so repealed or anything duly done or suffered there under , or Affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurrent under any enactment so repealed or Affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed , or affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid".

In the Matter of M/s Ambalal Sarabhai Vs M/s Amrit Lal & Co., & Another, Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 27-08-2001 has clarified as under :

" As a general rule, in view of Section 6, the repeal of an statute, which in not retrospective in operation, does not prima facie affect the pending proceeding which may be continued as if the repealed enactment were still in force. In other words such repeal does not effect the pending cases which would continue to be concluded as if the enactment has not been repealed. in fact when a lis commences, all

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

rights and obligations of the parties gets crystalised on that date. The mandate of Section of the General Clauses Act is simply to leave the pending proceeding unaffected which commenced under the unrepealed provisions unless contrary intention ins expressed. We find Clause (c) of Section 6, refers the words any right, privilege, obligation acquired or accrued under the repealed statute would not be affected by the repealing statute. We may hasten to clarify here; mere existence of a right not being acquired or accrued, on the date of the repeal would not get protection of Section 6 of the General Clauses Act."

In the backdrop of above analysis, pending appeals before the courts of Divisional Commissioner under the repealed sub section (7) of Section 90B of the Act of 1956 shall be heard and decided by the Courts of Divisional Commissioners as if the provisions of repealed section 90B has not been repealed."

अतः उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
-sd-
(आर.के. पारीक)
उप शासन सचिव—द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

माननीय उच्चतम न्यायालय के [illegible] निर्णय दिनांक 27.08.2001 में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर माननीय संभागीय आयुक्त, समस्त के नाम से उक्त पत्र जारी है, के अनुसार धारा 90बी विलोपित दिनांक को जो अपीलों धारा 90बी(7) के तहत संभागीय आयुक्तों के समक्ष लम्बित थी उनकी सुनवाई 90बी(7) के तहत सम्बन्धित संभागीय आयुक्त द्वारा ही की जायेगी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि धारा 90बी दिनांक 02.05.2012 को विलोपित होकर धारा 90ए की उपधारा 6, 7, 8 एवं 9 दिनांक 02.05.2012 को ही जोड़ी गई है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी पदेन सचिव, नगर विकास न्साय, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.10.2005 को आदेश पारित किया जा चुका था जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 07.10.2016 को 90बी की धारा 7 के तहत संभागीय, आयुक्त, बीकानेर के समक्ष लगभग 11 वर्ष पश्चात अपील में चुनौती दी है। इसप्रकार प्रार्थी का प्रकरण दिनांक 02.05.2012 को लम्बित नहीं था इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त मार्गदर्शन के अनुसार उक्त प्रकरण धारा 90बी अथवा 90ए के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि प्रार्थी का मामला दिनांक 02.05.2012 से लगभग 7 वर्ष पूर्व ही निर्णित हो चुका था। अगर प्रार्थी का मामला दिनांक 02.05.2012 को लम्बित होता तो राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त मार्गदर्शन के अनुसार माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार होता।

चूंकि प्रार्थी का मामला धारा 90बी दिनांक 02.05.2012 को विलोपित के समय लम्बित न होकर निर्णित हो चुका था। इसलिए इस प्रकरण में धारा 90बी के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। धारा 90ए के मामलों के सम्बन्ध में नगर विकास एवं आवासन विभाग,राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 21.06.2012 को जारी प्रपत्र के सामान्य बिन्दु संख्या में निम्न प्रकार से मार्गदर्शंन दिया गया है :

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

> **दिनांक 17.06.1999 में ... के ... बाद के प्रकरणों में जिनमें प्राधिकृत अधिकारी ... आदेश पारित किये जायेगें उनकी अपील अब व्यथित व्यक्ति के द्वारा जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की जा सकेगी। जिला कलेक्टरों को अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने की अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 को जारी की जा चुकी है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त प्रकरण पूर्व में सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90बी(1) के तहत दिनांक 20.10.2005 को निर्णित किया जा चुका था जिसकी अपील का प्रावधान धारा 90बी(7) के तहत संभागीय आयुक्त बीकानेर महोदय को था, न कि निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को। इसलिए इस प्रकरण में धारा 90ए के प्रावधानों के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को अपीलीय न्यायालय के रूप में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकर नहीं है। यदि दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के लम्बित और बाद के प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो ही उसकी अपील धारा 90ए(9) के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को हो सकती है। चूंकि प्रार्थी का प्रकरण पूर्व में ही दिनांक 20.10.2005 को निर्णित हो चुका था अर्थात धारा 90बी की विलोपित दिनांक 02.05.2012 को लम्बित नहीं था इसलिए धारा 90ए(9) के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार धारा 90बी दिनांक 02.05.2012 को विलोपित की गई है और इसमें लम्बित मामलों के बारे में कोई सेविंग क्लॉज न होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत <u>M/s Ambalal Sarabhai Vs M/s Amrit Lal & Co., & Another, निर्णय दिनांक 27-08-2001</u> में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार जनरल क्लॉज एक्ट 1956 की धारा 6 के अनुसार लम्बित मामले पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत ही निर्णित होगें अर्थात धारा 90बी विलोपित दिनांक 02.05.2012 को भू राजस्व अधिनियम की धारा [illegible] के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील योग्य होगा, न [illegible] अन्तर्गत। जबकि उक्त प्रकरण दिनांक 02.05.[illegible] 20.10.2005 को निर्णित हो चुका था और उक्त आदेश दिनांक 20.10.2005 के विरूद्ध लगभग 11 वर्ष बाद धारा 90बी (7) के तहत माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अपील पेश होने के कारण वे ही इस अपील पर विधिवत् रूप से विचार कर सकते थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार उक्त प्रकरण धारा 90बी विलोपित दिनांक 02.05.2012 से पूर्व ही निर्णित हो चुका था इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को धारा 90बी के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं 90ए की उपधारा 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रधिकृत अधिकारी पदेन सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2005 के विरूद्ध उक्त विवेचन के अनुसार किसी प्रकार से अपील की सुनवाई एवं निस्तारण करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए प्रार्थी की उक्त अपील उसे वापिस लौटाई जावे, जिसे वह सम्बन्धित सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का मूल अपील पत्र दिनांक 11.10.2017 एवं इसके संलग्न दस्तावेजात को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापिस लौटाई जावे और अपील पत्र की पुश्त पर इस आशय का नोट भी अंकित कर दिया जावे। अपील पत्र की प्रति इस पत्रावली में रखी जावे। निर्णय की प्रति मय मूल रिकॉर्ड सचिव, नगर विकास न्यास को भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:17 IST
Reason: SelfAttested